न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 227 / 2023

वाद पत्र अं0 धारा 53 आर.टी.ए.

1. हजारीराम पुत्र काहनाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. द्वारका देवी पत्नी हजारीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. परमवीर पुत्र रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
2. सतविन्द्र पुत्र रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
3. शोभा देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
4. राजेश्वरी देवी पत्नी बलराम जाति जाट
5. विनोद कुमार पुत्र रामनारायण जाति जाट
6. गुरलाल सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख

} निवासीगण किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शखा नुकेरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री अनिल शर्मा प्रथम –वकील वादीगण
2. श्री भीम पारीक–वकील प्रति.सं. 1ता6

निर्णय

दिनांक :– 02/04/2024

वादीगण हजारीराम वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के विरूद्ध यह राजस्व वाद खाता तकसीम के तहत दिनांक 26.05.2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि तहसील संगरिया के चक नं. 11 पी.टी.पी. के खाता सं. 24 / 32 जं.सं. 2071–74 कुल खाता 5.060 है. में से वादी सं. 1 हजारीराम के नाम से 0.6325 है. व वादीया सं. 2 द्वारका देवी के नाम से 0.6325 है. दोनो वादीगण के नाम से कुल 1.265 है. अर्था 5 बीघा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णि[illegible] के नाम से दर्ज कृषि पर वादीगण अपने हिस्सा अनुसार [illegible] का सहकाश्तकारान के साथ अर्सा पूर्व घरेलू विभाजन हो [illegible] वादीगण को निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई :–

वादीगण के ब.हि.ब. के कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 24 / 32 जं.सं. 2071–74 प.नं. 119 / 130 मु.नं. 16 कि.नं. 7,8,13,14,18 / 0.253 है.प्र. नहरी कृषि भूमि कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes[illegible] Meena
Date: 2024.04.26 11:29:3[illegible]
Reason: SelfAttested

वादपत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण बरोज घरेलू विभाजन के काबिज है तथा कब्जा काश्त बाबत किसी भी सहकाश्तकारान के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। किन्तु उक्त आराजी संयुक्त खाता मे होने कि कारण तथा खाता विवादित होने के कारण वादीगण को अपनी आराजी में सरकारी योजनाओं के अनुदान बाबत परेशानियो का सामना उठाना पड़ता है तथा वादीगण के कब्जा काश्त के किले वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण मन लगाकर अपनी कृषि भूमि का सुधार नही कर पा रहे है। वादीगण ने अपनी कृषि भूमि को बैक में रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था जिसका पूर्ण भुगतान कर बैक से ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है किन्तु खाता विवादित होने के कारण किलाजात को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है। जिसके वे अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे भी अपना खाता अलग कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय कांउटर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 8 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की इस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 24/32 जं.सं. 2071–74 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/262 दिनांक 31.01.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 24/32 जं.सं. 2071–74 एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने ज[illegible] हुआ। वादग्रस्त आराजी वादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन [illegible] जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है एवं उक्त खाता अविवादित [illegible] वादीगण ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी म[illegible] तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीग[illegible]। वादीगण का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वाद में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। सभी सह खातेदार हाजिर आ चुके

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:3
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :– **चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 24/32 में कुल रकबा 5.060 है.**

1. परमवीर पुत्र रामेश्वर 1/3 हि. सतविन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल 1/3 हि. सोमादेवी पत्नी रामेश्वरलाल 1/3 हि. जाति बिश्नोई सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 19,22/0.253 है.प्र., प.नं. 119/130 मु.नं. 16 कि.नं. 5,6,15/0.253 है. प्र. कुल रकबा 1.265 है. नहरी।
2. गुरलाल सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख सा. रासूवाला प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 2,9,12/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.759 है. नहरी।
3. विनोद कुमार पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन रासूवाला रहिन आर.एम.जी.बी. शाखा नुकेरा प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 10,11/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.506 है.।
4. हजारीराम पुत्र काहनाराम 1/2 हि. रहिन बी.ओ.बी. शाखा किशनपुरा उतराधा द्वारकादेवी पत्नी हजारीराम 1/2 हि. रहिन बी.ओ.बी. शाखा किशनपुरा उतराधा प. नं. 119/130 मु.नं. 16 कि.नं. 7,8,13,14,18/0.253 है.प्र. नहरी कृषि भूमि कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।
5. राजेश्वरी देवी पत्नी बलराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 3,8,13,18,23/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.265 है.।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थग्न आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...100/...खर्चा मुकदमें ... शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी ... खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया ... आज दिनांक 02/04/24 ... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29
Reason: Self Attested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 227/2023

1. हजारीराम पुत्र काहनाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. द्वारका देवी पत्नी हजारीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. परमवीर पुत्र रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
2. सतविन्द्र पुत्र रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
3. शोभा देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई
4. राजेश्वरी देवी पत्नी बलराम जाति जाट
5. विनोद कुमार पुत्र रामनारायण जाति जाट
6. गुरलाल सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख

} निवासीगण किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शखा नुकेरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 02-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा प्रथम वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री भीम पारीक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :– **चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 24/32 में कुल रकबा 5.060 है.**

1. परमवीर पुत्र रामेश्वर 1/3 हि. सतविन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल 1/3 हि. सोमादेवी पत्नी रामेश्वरलाल 1/3 हि. जाति बिश्नोई सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 120/12[illegible] कि.नं. 19,22/0.253 है.प्र., प.नं. 119/130 मु.नं. 16 कि.नं. [illegible] रकबा 1.265 है. नहरी।
2. गुरलाल सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख सा. रासूवाला प.नं. 120/129 [illegible] 2,9,12/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.759 है. नहरी।
3. विनोद कुमार पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन रासूवाला रहिन आर.एम.जी.बी. शाखा नुकेरा प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 10,11/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.506 है.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:3
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4. हजारीराम पुत्र कानाराम 1/2 हि. रहिन बी.ओ.बी. शाखा किशनपुरा उतराधा द्वारकादेवी पत्नी हजारीराम 1/2 हि. रहिन बी.ओ.बी. शाखा किशनपुरा उतराधा प.नं. 119/130 मु. नं. 16 कि.नं. 7,8,13,14,18/0.253 है.प. नहरी भूमि कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।

5. राजेश्वरी देवी पत्नी बलराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 120/129 मु.नं. 10 कि.नं. 3,8,13,18,23/0.253 है.प. कुल रकबा 1.265 है.।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....निल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसबब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02/04/2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:34 IST
Reason: SelfAttested